

PROTOCOL TO THE CULTURAL AGREEMENT  
BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDIA  
AND THE GOVERNMENT OF JAMAICA

WHEREAS a Cultural Agreement was signed between the Government of the Republic of India and the Government of Jamaica (hereinafter called the Agreement).

AND WHEREAS paragraph 3 of Article XIII refers to Hindi and English Languages as the languages in which the text of the Agreement was done.

AND WHEREAS the date on which the Agreement was done was inadvertently omitted.

NOW THEREFORE the Parties agree to the following:


Paragraph 3 of Article XIII is hereby amended as follows:

"Done at Kingston this Fifth day of October, of the year One thousand Nine hundred and Ninety-two, (Thirteenth day of Saka One thousand Nine hundred and fourteen) in two originals in the English language, both texts being equally authentic".

Done this \_\_\_\_\_ Twentieth \_\_\_\_\_ day of \_\_\_\_\_ March \_\_\_\_\_, of the year One thousand Nine hundred and Ninety six.



For the Government of the  
Republic of India



For the Government of Jamaica

M

CULTURAL AGREEMENT BETWEEN THE  
GOVERNMENT OF JAMAICA AND THE GOVERNMENT  
OF THE REPUBLIC OF INDIA

- - -

The Government of Jamaica and the Government of the Republic of India hereinafter referred to as the Contracting Parties:

Inspired by a common desire to establish and develop closer cultural relations and desirous of promoting and developing in every possible manner the relations and understanding between Jamaica and India in the realms of art, culture, education including academic activity in the fields of science and technology, sports, public health and mass media of information and education;

Have agreed to conclude the following agreement.

ARTICLE I

The Contracting Parties shall facilitate and encourage cooperation in the fields of art and culture, education, sports and games and journalism in order to contribute towards a better knowledge of their respective cultures and activities in these fields.

ARTICLE II

Each Contracting Party shall endeavour to present different facets of the life and culture of the other party through the media of radio, television and press. With this end in view, the two parties shall exchange suitable materials and programmes.

ARTICLE III

The Contracting Parties shall encourage and facilitate:

- (a) reciprocal visits of professors and experts for delivering lectures, study tours and conducting special courses;
- (b) reciprocal visits of representatives of educational literacy, scientific, technical artistic sports and journalists associations, and organizations and participation in congress symposia and seminars;
- (c) exchange of materials in the fields of culture, science education, sports personnel and exchange of books, periodicals and other educational, scientific, technical, cultural, sports publication, and wherever possible exchange of art specimen;

- (d) reciprocal facilities in regard to archaeologists of the one country to the other to enable them to gain experience of excavation as well as preservation and display of archaeological finds and for training purposes and also in regard to exchange of specimens or casts;
- (e) organizing exchange programmes for their musical and theatrical groups, actors, artists, musicians and journalists; and
- (f) encouraging and organizing cultural concerts, tours of performing troops and lecture tours on culture and arts in their countries.

ARTICLE IV

The Government of the Contracting Parties agree to cooperate closely on prevention, elimination and prosecution in respect of illegal trade in works of art, documents and objects of great value to history, heritage, the arts, culture and science.

ARTICLE V

Each Contracting Party shall encourage cooperation in the field of mass communication by exchange of film, radio, press television and cinematographic materials, and shall arrange the exchange of specialists who will participate in the activities organised by each Contracting Party.

ARTICLE VI

The Contracting Parties shall encourage visits of sports teams between the two countries and shall facilitate subject to their national laws and regulations in force, their stay and movements in their respective territories.

ARTICLE VII

Each Contracting Party shall welcome and extend the establishment in its territory of cultural institutes or friendship associations devoted to educational and cultural pursuits by the other Contracting Party, or the Contracting Parties jointly, in accordance with its laws, regulations and general policy in this regard; it being understood that prior clearance of the government concerned would be obtained before any institution is established under this Article.

ARTICLE VIII

Each Contracting Party shall welcome and extend the establishment in its territory of institutes or friendship associations devoted to educational and cultural pursuits by the other Contracting Parties jointly, in accordance with its laws, regulations and general policy in this regard; it being understood that prior clearance of the Government concerned would be obtained before any institution is established under this Article.

ARTICLE IX

The representatives of the Contracting Parties shall under this Agreement observe the laws and regulations of the host country.

ARTICLE X

For the fulfilment of the objectives of the present Agreement a Joint Committee may be established by the Contracting Parties when considered necessary, consisting of an equal number of representatives of the two Governments which shall meet as agreed upon between the Contracting Parties at the request of either of the parties alternatively in Kingston and New Delhi.

ARTICLE XI

The Contracting Parties shall foster and promote the development of relations between institutions and countries of cultural research between both the countries in order that research work carried out in one country will be known about in the other.

ARTICLE XII

The Contracting Parties shall settle through diplomatic channels all issues concerning the interpretation of application of the provisions of this Agreement.


ARTICLE XIII

The present Agreement shall come into force on the date of exchange of Instruments of Ratification which shall take place at New Delhi/Kingston. It shall remain in force for a period of five years and shall be renewed automatically for subsequent periods of five years unless either Contracting Party gives to the other a written notice six months in advance of its intention to terminate the present Agreement.

IN WITNESS WHEREOF, the duly authorized representatives of the Contracting Parties have signed this Agreement and affixed thereto their seals.

DONE AT Kingston this Fifth day of October, One thousand nine hundred and ninety two ( Thirteenth day of Saka One thousand nine hundred and fourteen ) in two originals in the Hindi and English languages, both the texts being equally authentic. In cases of doubt the English Text shall prevail.

  
For the Government of  
the Republic of India

  
For the Government of  
Jamaica

## भारत गणराज्य की सरकार तथा जमैका सरकार के बीच सांस्कृतिक करार

भारत गणराज्य की सरकार तथा जमैका की सरकार, इसके पश्चात् इन्हें संविदाकारी पक्षकार कहा जाएगा :

भारत और जमैका के बीच विज्ञान तथा प्रयोगिकी, खेल-कूद, जन-स्वास्थ्य तथा सूचना और शिक्षा के जन-प्रचार माध्यमों के क्षेत्रों में शैक्षिक कार्यकलापों सहित कला, संस्कृति, शिक्षा के क्षेत्रों में संबंधों और सद्भावना को हर संभव तरीके से प्रोन्नत तथा विकसित करने की सामान्य इच्छा से प्रेरित होकर:

निम्नलिखित करार के निष्पादन पर सहमत हुई है:

### अनुच्छेद I

संविदाकारी पक्षकार कला और संस्कृति, शिक्षा, खेल-कूद, तथा पत्रकारिता के क्षेत्रों में सहयोग को सुकर बनायेंगे तथा प्रोत्साहित करेंगे ताकि वे इन क्षेत्रों में अपनी-अपनी संस्कृति तथा कार्यकलापों की बेहतर जानकारी प्रदान कर सकें।

### अनुच्छेद II

प्रत्येक संविदाकारी पक्षकार रेडियो, दूरदर्शन तथा प्रेस के माध्यम से दूसरे देश के जीवन और संस्कृति के विभिन्न पहलुओं को प्रस्तुत करने का प्रयास करेंगे। इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए दोनों पक्षकार उपयुक्त सामग्री और कार्यक्रमों का आदान-प्रदान करेंगे।

अनुच्छेद 111

संविदाकारी पक्षकार निम्नलिखित को प्रोत्साहित करेंगे तथा सुकर बनाएंगे:-

- ॥क॥ व्याख्यान देने, अध्ययन दौरे तथा विशेष पाठ्यक्रमों के आयोजन के लिए प्रोफेसरों और विशेषज्ञों के पारस्परिक दौरे,
- ॥स॥ शैक्षिक साक्षरता, वैज्ञानिक, तकनीकी, कलात्मक खेल-कूद तथा पत्रकार संघों और संगठनों के प्रतिनिधियों के पारस्परिक दौरे, तथा काग्रेस संगोष्ठियों और सेमिनारों में भाग लेना,
- ॥ग॥ संस्कृति, विज्ञान, शिक्षा, खेल-कूद कार्मिकों के क्षेत्रों में सामग्री का आदान-प्रदान और पुस्तकों, पत्रिकाओं, अन्य शैक्षिक, वैज्ञानिक, तकनीकी, सांस्कृतिक खेल-कूद प्रकाशनों का आदान-प्रदान और जहां संभव हो कला नमूनों का आदान-प्रदान, और
- ॥घ॥ एक देश के पुरातत्वविदों द्वारा दूसरे देश के दौरे के संबंध में पारस्परिक सुविधाएं ताकि वे उत्खनन और पुरातत्वीय वस्तुओं के परिरक्षण और प्रदर्शन एवं प्रशिक्षण प्रयोजनों के लिए और नमूनों अथवा ढांचों के आदान-प्रदान के संबंध में अनुभव प्राप्त कर सकें,
- ॥ङ॥ संगीत एवं थियेटर दलों, अभिनेताओं, कलाकारों, संगीतज्ञों तथा पत्रकारों के लिए आदान-प्रदान कार्यक्रम आयोजित करना,
- ॥च॥ सांस्कृतिक समारोह, प्रदर्शन दलों के दौरे तथा उनके देशों की संस्कृति और कलाओं पर व्याख्यान दौरे आयोजित करना तथा उन्हें प्रोत्साहित करना,

**अनुच्छेद 11/**

संविदाकारी पक्षकारों की सरकार इतिहास, विरासत, कला, संस्कृति तथा विज्ञान की अत्यधिक महत्व की कलाकृतियों, दस्तावेजों तथा वस्तुओं के गैर-कानूनी व्यापार की रोक-थाम, निकसन और अभियोजन के बारे में घनिष्ठ सहयोग करने पर सहमत हैं।

**अनुच्छेद 1/**

प्रत्येक संविदाकारी पक्षकार फिल्म रेडियो, प्रेस, दूरदर्शन तथा चल-चित्र कला संबंधी सामग्री के आदान-प्रदान के जरिए जन-संचार के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देगा और विशेषज्ञों के आदान-प्रदान की व्यवस्था करेगा, जो प्रत्येक संविदाकारी पक्षकार द्वारा आयोजित कार्यक्रमों में भाग लेंगे।

**अनुच्छेद 1/1**

संविदाकारी पक्षकार दोनों देशों के बीच खेल दलों के दौड़ों को प्रोत्साहित करेंगे और राष्ट्रीय कानूनों और लागू विनियमों के अनुसार अपने-अपने देशों में उनके प्रयास और घूमने-फिरने को सुकर बनाएंगे।

**अनुच्छेद 1/11**

प्रत्येक संविदाकारी पक्षकार अपने क्षेत्र में दूसरे संविदाकारी पक्षकार अथवा संविदाकारी पक्षकारों द्वारा संयुक्त रूप से इस संबंध में अपने-अपने नियमों, विनियमों और सामान्य नीति के अनुसार, शैक्षिक और सांस्कृतिक उद्देश्यों के लिए समर्पित सांस्कृतिक संस्थान अथवा मैत्री संघ स्थापित करने का स्वागत करेगा बशर्ते कि इस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी संस्था को स्थापित करने से पूर्व संबंधित सरकार की पूर्वानुमति प्राप्त कर ली गई हो।



### अनुच्छेद 1/111

प्रत्येक संविदाकारी पक्षकार अपने क्षेत्र में संविदाकारी पक्षकारों द्वारा संयुक्त रूप से इस संबंध में अपने-अपने नियमों, विनियमों और सामान्य नीति के अनुसार, शैक्षिक और सांस्कृतिक उद्देश्यों के लिए समर्पित सांस्कृतिक संस्थान अथवा मैत्री संघ स्थापित करने का स्वागत करेगा बशर्ते कि इस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी संस्था को स्थापित करने से पूर्व संबंधित सरकार की पूर्वानुमति प्राप्त कर ली गई हो।

### अनुच्छेद 1x

संविदाकारी पक्षकारों के प्रतिनिधि इस करार के अंतर्गत मेजबान देश के कानूनों और विनियमों का अनुपालन करेगा।

### अनुच्छेद x

वर्तमान करार के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु, संविदाकारी पक्षकारों द्वारा, आवश्यक समझे जाने पर, एक संयुक्त समिति की स्थापना की जाएगी, जिसमें दोनों सरकारों के समान संख्या में प्रतिनिधि होंगे और जिसकी बैठक संविदाकारी पक्षकारों में सहमति होने पर, किसी भी पक्षकार के अनुरोध पर, बारी-बारी से नई दिल्ली और किंगस्टन में होगी।

### अनुच्छेद x1

संविदाकारी पक्षकार दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक अनुसंधान की संस्थाओं और देशों के बीच संबंधों के विकास को प्रोन्नत और विकसित करेंगे, ताकि एक देश में किए जाने वाले अनुसंधान कार्य की जानकारी दूसरे देश को प्राप्त हो सके।

### अनुच्छेद x11

संविदाकारी पक्षकार इस करार के प्रावधानों को लागू किए जाने की व्याख्या से संबंधित सभी मुद्दे राजनयिक माध्यमों से तय करेंगे।

अनुच्छेद xiii

वर्तमान करार नई दिल्ली/किंगस्टन में अनुसमर्थन के दस्तावेजों के आदान-प्रदान की तारीख से लागू होगा। यह पांच वर्ष की अवधि के लिए लागू रहेगा और तत्पश्चात् इसका पांच-पांच वर्ष की अवधि के लिए तब तक स्वतः नवीकरण होता रहेगा जब तक कि दोनों में से कोई एक संविदाकारी पक्षकार दूसरे पक्षकार को वर्तमान करार समाप्त करने के अपने आशय की पूर्वसूचना इसके समाप्त होने से छः माह पूर्व नहीं दे देता।

इसके साक्ष्य स्वरूप, संविदाकारी पक्षकारों के विधिवत् प्राधिकृत प्रतिनिधियों ने इस करार पर हस्ताक्षर कर दिए हैं और अपनी-अपनी मुहरें लगा दी हैं।

किंगस्टन में, 1914 §शक§ के आश्विन माह के 13वें दिन तदनुसार 1992 §ई.स.§ के अक्टूबर माह के 5वें दिन हिंदी और अंग्रेजी भाषाओं, प्रत्येक में दो-दो मूल प्रतियों में निष्पादित किया गया, सभी पाठ समान रूप से प्रामाणिक होंगे। संदेह की स्थिति में अंग्रेजी पाठ अभिभावी होगा।

भारत यणराज्य  
की सरकार  
की ओर से

जमैका  
की सरकार  
की ओर से